रामलाल बनाम साहबलाल

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या : 2021/160

30.11.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ने धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के आदेश दिनांक 21.12.2017 के विरूद्ध न्यायालय में अपील पेश की गई थी जिसे इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.08.2021 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण को 2000/– रूपये प्रतिबीघा नगद प्रतिभूति राशि जमा करवाने पर कब्जा बनाये रखने का आदेश प्रदान किया गया है । प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डपटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 466 रकबा 2.31 हैक्टर आराजी स्थित है जिस पर अप्रार्थीगण द्वार दखलन्दाजी करने से व जबरन कब्जा करने से रिसीवर नियुक्त किया जावे जिसे परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 21.12.2017 को खारिज कर दिया । माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 24.08.2021 को निर्णय पारित किया । माननीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि वर्णित आराजी अप्रार्थीगण के विरूद्ध चली सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिगृहण की गई और वाद अधिग्रण प्रार्थी को आवंटन की गई । उक्त अधिग्रहण कार्यवाही के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो दिनांक 14.11.2019 को स्वीकार कर सीलिंग कार्यवाही ड्रोप कर दी गई । उक्त प्रकार उक्त भूमि सीलिंग से मुक्त हो जाने से अप्रार्थीगण खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं जिन्हें नगद प्रतिभूमि राशि जमा करवाये जाने हेतु पाबन्द नहीं किया जा सकता । न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2021 को रिव्यू कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा समस्त दस्तावेजात का अवलोकन कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई है । अप्रार्थीगण के पास सम्बन्धित दस्तावेज 15.11.2019 को ही प्राप्त हो गया था तो 24.08.2021 को लगभग पौने दो वर्ष तक प्रस्तुत क्यों नहीं किया ? निर्णय से पूर्व दस्तावेज इनके पास उपलब्ध था । साबिक खसरा नम्बर व नवीन खसरा नम्बर की स्थिति भी प्रार्थना पत्र से स्पष्ट नहीं है । रिव्यू प्रार्थना पत्र का बहुत सीमित क्षेत्र होता है । ऐसी त्रुटि जो Apparent on the face of record हो, या लिपिकीय त्रुटि आदिहो उसी को दुरूस्त किया जा सकता है । यदि अप्रार्थीगण इस निर्णय से अप्रसन्न हैं तो उन्हें इसकी अपील करनी चाहिए । अतः अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने रिव्यू प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । रिकॉर्ड से यह सिद्ध है कि जिस दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह दस्तावेज दिनांक 15.11.2019 को ही अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पजेशन (Possession) में आ गया था । दिनांक 15.11.2019 से निर्णय दिनांक 24.08.2021 को उक्त दस्तावेज अप्रार्थीगण ने क्यों प्रस्तुत नहीं किया ? इसका पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अप्रार्थीगण सिद्ध नहीं कर पाए । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पास दस्तावेज होने के बावजूद प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण नहीं बताया । यह अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट की लापरवाही (Negligence) रही है । हम विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि पुराने खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बर का सही मिलान व स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है । यहॉ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में मूल वाद का निर्णय अभी परीक्षण न्यायालय में लम्बित है, वाद के निर्णय में पक्षकारान के अधिकार स्वत्व तय होंगे । रिव्यू हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 व सीपीसी के आदेश 47 का सीमित क्षेत्र (Scope) है । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । तद्नुसार अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2021 के विरूद्ध अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा